



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18072022-237342
CG-MH-E-18072022-237342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944

No. 361]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 10 मार्च, 2022

डीओआर.निग.सं. 3764 /12.01.000/2021-22.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (इसके बाद “द आरबीआई अधिनियम” से संबोधित) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्वारा, पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक, लिमिटेड को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाए जाने का निर्देश देता है।

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन III/4/असा./179/2022-23]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 10th March, 2022

DOR.MON.No. 3764/12.01.000/2021-22.—In exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited from the second schedule of the RBI Act.

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director
[ADVT.-III/4/Ext./179/2022-23]

4741 GI/2022

(1)